

झारखण्ड सरकार  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वनभूमि-15/2015-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रेषक

जलज कुमार,  
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 220 K.V. D/C हटिया, राँची से नामकुम (J.S.E.B.) तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु राँची वन प्रमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित रकबा 13.221 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक-FP/JH/TRANS/13487/2013/4694 दिनांक-22.06.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज-II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-385 दिनांक-05.05.2022 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षापरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित 5.848 हे० अधिसूचित वनभूमि विमुक्त की जाती है।

प्रस्ताव में सन्निहित 7.373 हे० जंगल-झाड़ी भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः उक्त जंगल-झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से अपेक्षित है। तदनुसार निज स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त आशय की सूचना देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जलज कुमार)  
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-15/2015-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003/उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002 को स्टेज-II के अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-15/2015-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को स्टेज-II की स्वीकृति संबंधी पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में सन्निहित 7.373 हे० जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-15/2015-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची/मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, A/360, रोड नं०-4B, अशोक नगर, राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-15/2015-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को "forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

विभागीय Website  
उप परामर्शी।